प्रा.पत्र / 2021 / 67

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

पंजाव नेशनल वैंक रुदावल जिला भरतपुर , जरिये प्राधिकृत अधिकारी

....प्रार्थी / सिक्योर केडिटर

बनाम

(1)श्री मैसर्स वालाजी फलोर मील,
(2)प्रोपराईटर श्री रिंकू पुत्र श्री श्यामोली जाति कुशवाह,रुदायल जिला भरतपुर
(3)कुशमा देवी पत्नी श्री धनसिंह जाति कुशवाह, सेढ का मढ, रुदावल,

......अप्रार्थी ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रशन ऑफ फाइनान्सियल एसेटस एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात एक्ट से संवोधित किया गया है वंधक सम्पति का कब्जा सुपुर्दगी वावत।

आदेश **दिनांक 27.09.2023**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्व अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने दिनांक 10.9.2018 को 1420000/– रुपये की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति सेढ का मढ रुदावल जिला भरतपुर प्रोपर्टी कॉमर्शियल, कनवर्ड कसूमा देवी पत्नी श्री धनसिंह सेढ का मढ रुदावल जिला में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी0 के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नही कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी/ऋणी के खाता को दिनांक 31–05–2021 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31–03–2021 तक 1269462/– रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 15–05–2021 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ती के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नही की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

अप्रार्थी ऋणी या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये हैं, योग्य अप्रार्थी ऋणी के अधिवक्ता विगत तारीख पेशी पर स्थगन आदेश प्रस्तुत करने निवेदन किया था, परन्तु उनकी ओर से किसी भी सक्षम न्यायालय को कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है और आज

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अप्रार्थी ऋणी के अधिवक्ता या अप्रार्थी का उपस्थित नहीं होना यह जाहिर करता है कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा 34 में यह भी उल्लेखित है कि " No civil Court shall have jurisdictaion to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which a Debts Recovery Tribunal or the Appellate Tribunal is empowered by or under this Act to detrmine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or to be gaken in pusuance of any power conferred by or under this Act or under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993....." इस प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 34 के अनुसार सिविल न्यायालय को ऐसे मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

अस्तु पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा– 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 15–05–2021 अप्रार्थी0 को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई हैं। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नही चुकाने पर अन्तिम रुप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता हेतु निर्देश किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थीगण ने अपनी अचल सम्पत्ति अप्रार्थी ने अपनी अचल सम्पत्ति सेढ का मढ रुदावल जिला भरतपुर प्रोपर्टी कॉमर्शियल, कनवर्ड कसूमा देवी पत्नी श्री धनसिंह सेढ का मढ रुदावल जिला में स्थित है को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर
भरतपुर